प्रेस नोट

दिनांक- 10.11.2026

थाना छपिया पुलिस द्वारा झपटमारी की घटना का सफल अनावरण, 01 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, ₹300/- नगद व एक अदद मोबाइल फोन (झपटमारी का मोबाइल फोन) बरामद-

कार्यवाही-

आज दिनांक 10.11.2026 को थाना छपिया पुलिस टीम द्वारा मोबाइल छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए सकदरपुर से फुलवापुर जाने वाले मार्ग पर घेराबंदी कर अभियुक्त अंकित पुत्र मनसाराम वर्मा निवासी ग्राम बनरहा, थाना खोड़ारे, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से झपटमारी का एक अदद मोबाइल फोन मोटोरोला एज 60 प्रो बरामद किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी हिमांशु पुत्र परशुराम निवासी ग्राम व पोस्ट चुवाड़, थाना छपिया, जनपद गोण्डा द्वारा थाना छपिया पर लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 03.10.2026 को ग्राम बरहपुर एवं चुवाड़ गांव के मध्य अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना छपिया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त अंकित पुत्र मनसाराम वर्मा ने बताया कि उसने अपने साथी मोहित पुत्र रामधीरज निवासी ग्राम सकदरपुर, थाना छपिया के साथ मिलकर दिनांक 03.10.2026 की शाम ग्राम बरहपुर एवं चुवाड़ गांव के मध्य वादी हिमांशु का मोबाइल फोन छीन लिया था। अभियुक्त ने बरामद मोबाइल फोन को उसी घटना में छीना गया मोबाइल होना स्वीकार किया। बरामद मोबाइल फोन का IMEI नम्बर वादी द्वारा उपलब्ध कराये गये IMEI नम्बर से मिलान करने पर समान पाया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अंकित पुत्र मनसाराम वर्मा निवासी ग्राम बनरहा, थाना खोड़ारे, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 401/2026 धारा 304(2), 317(2) बीएनएस, थाना छपिया, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1- एक अदद मोबाइल फोन मोटोरोला एज 60 प्रो (झपटमारी का मोबाइल फोन)

2-नकद 300 रुपये ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अक्षय कुमार चौधरी।
2. मुख्य आरक्षी अरविन्द कुमार।
3. आरक्षी अवनीश यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक- 10.11.2026

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 336/2026 धारा 352/115(2)/351(3)/118(1)/109(1) बीएनएस से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त राजकुमार भारती पुत्र मिश्रीलाल भारती निवासी पुर्दिल पुरवा, बेलसर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को दिनांक 10.11.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.11.2026 को वादी विनय कुमार पाण्डेय निवासी बेलसर वार्ड नं0-11 थाना तरबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना तरबगंज पर तहरीर दी गई कि उनका छोटा भाई अंकित पाण्डेय घर से खेत की तरफ जा रहा था। इसी दौरान किशन पाल सिंह के हाते के पास पूर्व में हुए विवाद को लेकर अभियुक्त राजकुमार भारती द्वारा अंकित पाण्डेय के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट की गई तथा धारदार हथियार से उनकी गर्दन पर पीछे से हमला कर दिया गया, जिससे उन्हें गम्भीर चोटें आयीं। घटना के बाद अभियुक्त जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। उक्त तहरीर के आधार पर थाना तरबगंज पर मु0अ0सं0 336/2026 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राजकुमार भारती पुत्र मिश्रीलाल भारती निवासी पुर्दिल पुरवा, बेलसर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 336/2026 धारा 352/115(2)/351(3)/118(1)/109(1) बीएनएस, थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राकेश कुमार पाण्डेय
2. का0 महेश यादव
3. का0 मोहन प्रसाद

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक- 10.11.2026

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ₹1,200 नकद एवं पूजापाठ में प्रय-ुक्त बर्तन व अन्य सामग्री बरामद-

कार्यवाही-

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त सूरज पुत्र संतु को गौरा चौकी से मसकनवा मार्ग पर ईरानी चाय की दुकान से आगे पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे व निशानदेही से चोरी के ₹1,200 नकद एवं पूजा-पाठ में प्रयुक्त बर्तन व अन्य सामग्री बरामद की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.11.2026 को वादी अरविन्द कुमार पुत्र जोखू प्रसाद निवासी ग्राम भावपुर, पोस्ट फरेन्द खुर्द, थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा द्वारा थाना खोड़ारे पर सूचना दी गई कि उनके आवास पर स्थापित माता जी की मूर्ति के पूजा पंडाल में रखे दानपात्र से नकदी एवं पूजा-पाठ में प्रयोग होने वाली सामग्री को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना खोड़ारे पर मु0अ0सं0 306/2026 धारा 305(D) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त सूरज ने बताया कि उसने दिनांक 09.11.2026 की सुबह ग्राम भावपुर स्थित लक्ष्मी पूजा पंडाल से दानपात्र में रखे रुपये एवं पूजा-पाठ के बर्तन व अन्य सामग्री चोरी की थी। चोरी किए गए सामान को उसने गिन्नी नगर के आगे बकवा दरगाह मोड़ के पास सड़क किनारे झाड़ियों में छिपा दिया था। अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा चोरी किए गए सामान को बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सूरज पुत्र संतु निवासी ग्राम जाखौली थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 306/2026 धारा 305(D)/317(2) बीएनएस थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. ₹1,200 नकद।
2. तीन एल्युमिनियम के भगौने।
3. एक एल्युमिनियम का भगौने का ढक्कन।
4. एक पीतल का लोटा।
5. एक तांबे का लोटा।
6. एक पीतल का नागदेवता।
7. एक पीतल की घंटी।
8. एक पीतल का दीपक।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 प्रवीण सिंह थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।
2. का0 आशीष कुमार।
3. का0 अखिलेश यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक- 10.11.2026

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा दुकान में चोरी करने वाले आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,चोरी का सामान एवं ₹4,000 नकद बरामद -

कार्यवाही-

आज दिनांक को 2026-11-10थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा दुकान में चोरी की घटना में संलिप्त एक अभियुक्त अरविन्द निषाद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किया गया विभिन्न प्रकार का किराना एवं घरेलू उपयोग का सामान तथा ₹4,000 नकद बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.11.2026 को थाना वजीरगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चाईपुरवा चन्दापुर निवासी राजू गुप्ता की दुकान में अभियुक्त अरविन्द निषाद पुत्र मनीराम निषाद निवासी ग्राम चन्दापुर चाईपुरवा, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा द्वारा घुसकर दुकान से विभिन्न प्रकार के साबुन, सर्फ, शैम्पू एवं अन्य सामान तथा गल्ले में रखे ₹4,000 चोरी किये जा रहे थे। इसी दौरान दुकानदार द्वारा अभियुक्त को चोरी के सामान सहित मौके पर पकड़कर थाना वजीरगंज पुलिस के सुपुर्द किया गया। प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-अरविन्द निषाद पुत्र मनीराम निषाद निवासी ग्राम चन्दापुर चाईपुरवा, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 414/2026 धारा 331(4), 305(a), 317(2) बीएनएस, 2023, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. व्हील सर्फ 5 किग्रा के 10 पैकेट।
2. लाइफबॉय बड़ा साबुन 05 पीस।
3. सेवलॉन हैंडवॉश 06 पैकेट।
4. हार्पिक पैकेट।
5. क्लिनिक प्लस शैम्पू के 10 पाउच।
6. छोटा लाइफबॉय साबुन 12 पीस।
7. पतंजलि नीम साबुन 12 पीस।
8. फेना महावर साबुन 11 पीस।
9. बर्तन धोने वाला साबुन 11 पीस।
10. फेना सर्फ 500 ग्राम के 10 पैकेट।
11. नकद 4,000 रुपये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना वजीरगंज पुलिस, जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।